# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–338 / 2019 निर्णय दिनांक :– 18.11.2022

उनवानी अपील :

1. रतनलाल पुत्र गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. किशनलाल पुत्र गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. जेराम पुत्र गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4. बाबूलाल पुत्र गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
5. पुष्पा पुत्री गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

–अपीलान्ट–

बनाम

1. आशा देवी पत्नी अम्बालाल जाति मीणा निवासी अम्बापुरा कॉलोनी तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रूपलाल पुत्र श्री गोरू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रूपारेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. कैलाशी पुत्री गोरू जाति मीणा उम्र बालिंग निवासी रूपावेल (नाकाहाली) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

–उपस्थितिः–

**श्री आलोक कुमार शर्मा**
**अधिवक्ता प्रार्थीगण**

**श्री अनिल चौहान**
**अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1**
**श्री सुनिल कुमार शर्मा**
**अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3**

**अपील नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व0 माता गलकू बैवा गोरू जाति मीणा निवासी दूदावास तहसील देवली जिला टोंक की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 42 खसरा न0 495 रकबा 0.66 है0 भूमि वाके तनग्राम कालानाडा पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड में

अंकन जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 में अंकित है। दिनांक 11.01.2005 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की माता स्व0 गलकू बैवा गोरू ने अपने हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट न० 1 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विकय कर दी थी और विकय का पंजीयन उक्त दिनांक 11.01.2006 को रसीद संख्या 2754 जिल्द संख्या 97 पृष्ठ संख्या 200 कम संख्या 2004001690 पर पंजीबद्ध उपपंजीयक देवली के यहां तस्दीक करवाया था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006 जो इन्द्राज कर खोला गया वो विक्रेतागण/ रेस्पोडेन्ट न० 2 ता 3 व स्व0 गलकू बैवा गोरू के बजाय अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का भरकर रेस्पोडेन्ट नं. 4 व रेस्पोडेन्ट नं. 5 ने तस्दीक कर दिया गया एवं राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक भारी गलती कर एवं रेस्पोडेन्ट नं0 4 व 5 ने अपीलान्ट की हिस्से की भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया एवं अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर विक्रेतागण/ रेस्पोडेन्ट न० 2 ता 3 व स्व० गलकू बैवा का नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सा यथावत रख दिया। नया राजस्व ग्राम खेडा गांवडी बनाये जाने के कारण उक्त आराजीयात के हाल खाता संख्या 08 खसरा नं0 495 रकबा 0.66 है0 बना दिये गये है जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम हिस्सा 5/8 व रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व. गलकू बैवा गोरु के नाम हिस्सा 3/8 अंकित कर दिया जो गलत है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 व स्व. गलकू बेवा गोरु का उक्त आराजीयात में बराबर हिस्सा था। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006 द्वारा राजस्व कर्मचारी एव रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 5 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का हिस्सा 5/8 यथावत रखकर रेस्पोडेन्ट न० 1 के नाम हिस्सा 3/8 का नामान्तरण मुताबिक विकय पत्र दिनांक 11.01.2005 के अनुसार तस्दीक करना चाहिए था । हाल ही अपीलान्ट ने अपने खाते की भूमि की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त होने के पश्चात उक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की जानकारी हुई इसके बाद अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं. 4 को दिनांक 19.04.2018 को उक्त राजस्व गलती को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर भी कोई कार्यवाही नही की। अपीलान्ट नं. 4 द्वारा दिनांक 12.10.18 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को दुबारा प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्त किये जाने राजस्व रिकार्ड में हिस्सा पेश करने पर रेस्पोडेन्ट नं. 4 ने अपने आदेश कमांक 3308 दिनांक 12.10.18 द्वारा अपीलान्ट नं. 4 को मूल ही प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.18 लोटाया जाकर लिखा की रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेज से भरा गया नामान्तरण गलत भरा गया है एवं नामान्तरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश कर अनुतोष प्राप्त करें। रेस्पोडेन्ट नं. 6 के यहां रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा गलत रूप से भरे गये नामान्तरण द्वारा हिस्से में इन्द्राज की गई भूमि को रहन रखने के कारण पक्षकार बनाया है एवं विक्रेता गलकू बैवा गोरू की मृत्यु हो जाने एवं उसके वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 3 होने के कारण पक्षकार नही बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट नं0 5 द्वारा ग्राम पंचायत गांवडी में नामान्तरण तस्दीक करने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उक्त अपील उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। उक्त आराजीयात खेडा

गावंडी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली में स्थित होने व नामान्तरण संख्या 400 दिनाक 04.09.2006 सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा तस्दीक करने से उक्त होने के कारण उक्त अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006 द्वारा राजस्व कर्मचारी एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 5 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का हिस्सा 5/8 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम व रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व0 गलकू बैवा गोरू हिस्सा 3/8 यथावत रखने के स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा 5/8 व रेस्पोडेन्ट नं. 1 का हिस्सा मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2005 के अनुसार तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। उक्त आराजीयात खेड़ा गावड़ी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली में स्थित होने व नामान्तरण संख्या 400 दिनाक 04.09.2006 सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा तस्दीक करने से उक्त होने के कारण उक्त अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006 द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 5 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का हिस्सा 5/8 को रेस्पोडेन्ट न० 1 के नाम व रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व0 गलक वैवा गोरु हिस्सा 3/8 यथावत रखने के स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा 5/8 व रेस्पोडेन्ट न० 1 का हिस्सा मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2005 के अनुसार तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाये जाने के आदेश प्रदान करें

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:—अपील का चरण नं. 1 स्वीकार है। अपील का चरण नं. 2 स्वीकार है। अपील का चरण नं. 3 स्वीकार है। अपील का चरण नं. 4 स्वीकार है। अपील का चरण नं. 5 स्वीकार है। अपील का चरण नं. 6 की जानकारी अपीलान्ट को है। अपील का चरण नं. 7 की जानकारी अपीलान्ट को है। अपील का चरण नं. 8 कानूनी है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को है। अपील का चरण नं. 9 व 10 कानूनी है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व रिकॅार्ड में अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जाकर, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 का नाम राजस्व रिकॅार्ड से डिलीट किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व० माता गलकू बैवा गोरू ने अपने हिस्से की भूमि को बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया है जिसके अनुसार नामान्तकरण खोलते समय ग्राम

पंचायत द्वारा गोरू के अन्य वारिसान को छोड़ दिया और गलती से विक्रय करने वाले रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 3 व स्व0 माता गलकू बैवा गोरू का नाम का अंकन कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तकरण सन् 2006 में खोला गया था जिसकी अपील 2019 में की है । यहां पर मियाद अधिनियम लागू होता है। अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ मियाद के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया है। नामान्तकरण दिनांक 05.09.2006 को है और अपील में दिनांक 04.09.2006 लिखी है। अतः मियाद अधिनियम लागू होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं है बल्कि खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा मुख्यतया मियाद अवधि के बिन्दु को रखा है, जिसको न्यायहित में कन्डोन किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2061–64 में ख. नं. 495 रकबा 0.66 है0 के खातेदार गोरू पुत्र हरदेवा जाति मीणा सा. दुदावास खातेदार की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 8.10.04 से गोरू के वारिसान रतनलाल, किशनलाल, रूपलाल, जेराम, बाबूलाल पुत्र पुष्पा, कैलाशी पुत्रियां गलकू बेवा गोरू के नाम खोला गया। पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 11.01.2005 में रूपलाल व कैलाशी ( रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3) व गलकू ने ख. नं. 495 रकबा 0.66 है0 में से 0.24 है0 का विक्रय आशा देवी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) को विक्रित का संलग्न है। नामान्तकरण पंजिका खेड़ा गांवड़ी में विक्रय पत्र के बाद कॉलम संख्या 9 में श्रीमती आशा देवी पत्नी अम्बालाल जाति मीणा नि0 अम्बापुरा कॉलोनी व रूपलाल पुत्र कैलाशी पुत्री गलकू बेवा गोरू के नाम दर्ज कर दिया और रतनलाल, किशनलाल, रूपलाल, जेराम, बाबूलाल पुत्र पुष्पा के नाम को विलोपित कर दिया। जबकि रूपलाल व केलाशी व स्व. गलकू ने अपना हिस्सा श्रीमती आशा देवी को बेचान किया था। गलकू की भी मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से रूपलाल कैलाशी का उक्त आराजी में कोई उज्र नहीं रह जाता हैं। उक्त के कारण इसके बाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में श्रीमती आशा देवी पत्नी अम्बालाल जाति मीणा नि0 अम्बापुरा कॉलोनी व रूपलाल पुत्र कैलाशी पुत्री गलकू बेवा गोरू का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि ग्राम पंचायत को रूपलाल कैलाशी के अलावा आशा देवी के साथ गोरू के अन्य वारिसान का नाम जांच कर दर्ज करना चाहिए था परन्तु प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना विचारे, बिना जांच पड़ताल किये आशा देवी के साथ पुनः रूपलाल कैलाशी का नाम दर्ज कर दिया और गोरू के अन्य वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया। जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में श्रीमती आशा देवी के साथ रूपलाल पुत्र कैलाशी पुत्री व गलकू बेवा गोरू का नाम दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है, गोरू के अन्य वारिसान का नाम खातेदार के रूप में नहीं आ रहे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 04.09.2006 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

जाता है कि गोरू के विधिक वारिसान विक्रेतागण को छोड़कर व पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 11.01.2005 का परीक्षण कर, हिस्से अनुसार, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली